

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार  
75वीं बैठक का एजेण्डा




दिनांक: 14 / 12 / 2022

समय:- पूर्वान्ह 11:30 बजे

स्थान :- हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, सभागार

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा मद

मद	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.10.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01
2	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 74 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 की अनुपालन आख्या।	02 से 08 तक
3	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 66339/2022 देहरादून दिनांक 27.09.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	09 से 11 तक
4	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72684/2022 देहरादून दिनांक 25.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु संख्या 3.3(VI) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं0-7.14(I) में संशोधित प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	12 से 13 तक
5	श्री राजीव गोयल पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल निवासी 53ए फेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली के हरिद्वार-नजीबाबाद रोड ग्राम सज्जनपुर पीली के भूमि खाता संख्या 00174, खसरा संख्या 124 रकबई0 4520 है0 खसरा न0 125 रकबई 0.4510 है0 कुल दो किते रकबा 0.903 है0 भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	14
6	सलेमपुर महदूद-2 परगना रूड़की तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 1715 पर श्री अनिल गोयल पुत्र स्व0 श्री शिव नारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गैराज की शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	15 से 16 तक
7	ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 264मि0 पर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री एस पी0 गुप्ता निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा इन्टर कालेज के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।	17 से 18 तक
8	ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा न0 4252/2 पर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम राम निवासी-ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	19 से 20 तक
9	अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हरिद्वार महायोजना 2041 के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।	21
10	तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को आकृषित करने एवं उनकी सुविधा के दृष्टिगत शिवमूर्ति तिराहे से गंगा नदी के मध्य सूखी नदी खडखडी तक के क्षेत्र को एक कोरिडोर के रूप में रखते हुए सौन्दर्यकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	22
11	वर्ष 2016 के पश्चात् विकास क्षेत्र में सम्मिलित नये क्षेत्रों में अनियोजित विकास की रोकथाम के सम्बन्ध में।	23
12	शाखा कार्यालय रूड़की के स्थापना के सम्बन्ध में।	24
13	शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है ऐसे मामलों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में	25

  
 महेश्वर जी  
 अधिशासी अभियन्ता

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार  
75वीं बैठक का एजेण्डा




दिनांक: 14 / 12 / 2022

समय:- पूर्वान्ह 11:30 बजे



स्थान :- हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, सभागार

हारद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हारद्वार का 75 वा बाड बैठक दिनांक 14.12.2022 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा मद

मद	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.10.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01
2	हारद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 74 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 की अनुपालन आख्या।	02 से 08 तक
3	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 66339/2022 देहरादून दिनांक 27.09.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	09 से 11 तक
4	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72684/2022 देहरादून दिनांक 25.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु संख्या 3.3(VI) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं0-7.14(I) में संशोधित प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	12 से 13 तक
5	श्री राजीव गोयल पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल निवासी 53ए फेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली के हरिद्वार-नजीबाबाद रोड ग्राम सज्जनपुर पीली के भूमि खाता संख्या 00174, खसरा संख्या 124 रकबई0 4520 है0 खसरा न0 125 रकबई 0.4510 है0 कुल दो किते रकबा 0.903 है0 भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	14
6	सलेमपुर महदूद-2 परगना रूडकी तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 1715 पर श्री अनिल गोयल पुत्र स्व0 श्री शिव नारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गौराज की शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	15 से 16 तक
7	ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 264मि0 पर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री एस पी0 गुप्ता निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा इन्टर कालेज के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।	17 से 18 तक
8	ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा न0 4252/2 पर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम राम निवासी-ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	19 से 20 तक
9	अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हरिद्वार महायोजना 2041 के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।	21
10	तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को आकृषित करने एवं उनकी सुविधा के दृष्टिगत शिवमूर्ति तिराहे से गंगा नदी के मध्य सूखी नदी खडखडी तक के क्षेत्र को एक कोरिडोर के रूप में रखते हुए सौन्दर्यकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	22
11	वर्ष 2016 के पश्चात् विकास क्षेत्र में सम्मिलित नये क्षेत्रों में अनियोजित विकास की रोकथाम के सम्बन्ध में।	23
12	शाखा कार्यालय रूडकी के स्थापना के सम्बन्ध में।	24
13	शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है ऐसे मामलों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में	25

  
 अधिकारी अधिन्या  
 अधिशासी अधिन्या


14	मा० उच्चतम न्यायालय में तैनात प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री विनय गर्ग की वाद पैरवी फीस निर्धारण के सम्बन्ध में	26
15	उद्घान सम्बन्धी कार्यों हेतु एक ट्रेक्टर ट्राली कय किये जाने के सम्बन्ध में।	27
16	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	28

मद संख्या 75-(01)

प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 74वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाये।

  
 महेशचन्द्र जोशी  
 उपाध्यक्ष

## हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2022 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-12-2022 को मा० अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गयी :-  
बैठक की उपस्थिति :-


- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री सुशील कुमार शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष, एच.आर.डी.ए.            | अध्यक्ष    |
| 2. श्री विनय शंकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष, एच०आर०डी०ए०                                 | उपाध्यक्ष  |
| 3. श्री अर्पण कुमार राजू, उप सचिव (अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग के प्रतिनिधि)       | पदेन सदस्य |
| 4. श्री वी०के०मोर्या, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि)          | पदेन सदस्य |
| 5. श्री सुरेश सिंह यादव, जिला पर्यटन अधिकारी (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि)    | पदेन सदस्य |
| 6. श्री पूरन गिरि, अनु सचिव (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)                      | पदेन सदस्य |
| 7. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी.(नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड) | पदेन सदस्य |
| 8. श्री पी०एस०राणा, उप जिला अधिकारी हरिद्वार (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि)   | पदेन सदस्य |
| 9. श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर                       | पदेन सदस्य |
| 10. श्री दयानन्द सरस्वती, नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार।                          | पदेन सदस्य |
| 11. श्री एम०मुस्तफा, अधीक्षण अभियन्ता, (सचिव, पेयजल के प्रतिनिधि)                 | पदेन सदस्य |

सर्वप्रथम हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-


**मद संख्या-75 (01)**

प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10-06-2022 के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि

की गई। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman/ Commissioner

## मद संख्या 75 (02)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 74 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2022 की अनुपालन आख्या :-

मद सं०	एजेण्डा मद	निर्णय	अनुपालन
<b>मद संख्या 74(02)</b>			
70(05)	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में।	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य सम्बन्धी अनुपालन आख्या से बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों की बचत से हरिद्वार तीर्थ क गरिमा के अनुरूप 01 सुन्दर पार्क विकसित किया जाय।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार तीर्थ की गरिमा के अनुरूप 01 सुन्दर पार्क हेतु 23 मार्च पार्क (शहीद पार्क) हरिद्वार का चयन किया गया है, पार्क के ड्राइंग डिजाइन का प्रथम प्रस्तुतीकरण उपाध्यक्ष महोदय के सम्मुख दिनांक 16.11.2022 को किया गया तथा वर्तमान में 88 पार्कों में से 26 पार्कों के सौन्दर्यीकरण/उद्यानीकरण कार्यों एवं 38 पार्कों में सोलर लाईट कार्यों के स्वीकृत भुगतान के सापेक्ष धनांक रू०. 1,23,00,578.23 की बचत हुयी है तथा अवशेष पार्कों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, इसमें भी धनराशि की बचत होनी सम्भावित है, जिसमें से ही उक्त 23 मार्च (शहीद पार्क) का निर्माण/सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
70(10)	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मा० कड़च्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण का कार्य।	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मा० कड़च्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिए अनुमोदित रू०. 941.02 लाख की स्वीकृति में बढोतरी /विचलन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही किये जाने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार द्वारा गठित समिति द्वारा कार्य की स्वीकृत लागत रू०. 941.02 लाख के सापेक्ष रू०. 337.07 लाख अर्थात् 35. 82 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गयी है, जिसकी स्वीकृति की संस्तुति गठित समिति द्वारा की गयी है।




**मद संख्या-75 (02)**

**70 (05)** हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत 23 मार्च (शहीद पार्क) के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य कराये जाने विषयक अनुपालन आख्या /प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सहमति व्यक्त की गई तथा निर्देश दिये गये कि हरिद्वार तीर्थ की गरिमा के अनुरूप 23 मार्च (शहीद) पार्क को विकसित /सौन्दर्यीकरण कराया जाय तथा आयुक्त /अध्यक्ष महोदय द्वारा गोविन्दघाट - परशुरामघाट, गोविन्दपुरी हरिद्वार स्थित खाली भूमि का स्थल निरीक्षण करते हुए तदनुसार पार्क विकसित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये ।

**70 (10)** मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-116 /2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ० कडछ से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिये अनुमोदित रू० 941.02 लाख की स्वीकृति में बढोत्तरी/ विचलन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से प्रस्तावित विचलन स्वीकृति हेतु सहमति व्यक्त करते हुए प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

**70 (29)** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद :-

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त जोनल प्लान को प्रस्तावित अमृत योजना के हरिद्वार महायोजना-2041 के अन्तर्गत समायोजित करते हुए तदनुसार पुनरीक्षित किये जाने के निर्देश मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिये गये।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman/ Commissioner

मद संख्या 75 (02)

70(29)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान के कुछ खसरों में भिन्नता होने के कारण जोनल प्लान के सम्बन्ध में सी0टी0सी0पी0 द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा जोनल प्लान से सम्बन्धित समस्त कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष एक प्रतिशत कार्य में उनके द्वारा जोनल प्लान से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के लिए प्राधिकरण स्तर से एक माह का समय प्रदान किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार महायोजना-2025 के आधार पर तैयार किये गये 11 जोनल प्लान के 07 सैट के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र संख्या 1682 दिनांक 08 सितम्बर 2022 के अनुपालन में अभिलेख/मानचित्रों का एक सैट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) कार्यालय पत्र संख्या 2621 दिनांक 16.09.2022 द्वारा प्रेषित किया गया है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या 2244 दिनांक 30 नवम्बर 2022 के द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतिकरण किये जाने हेतु सूचित किया गया है। तदनुसार सी0टी0सी0पी0 द्वारा विस्तृत विवरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा।
72(04)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि योजना के निर्माण एवं विकास हेतु वास्तुविद का चयन कर उनके साथ एम0ओ0यू0 का निष्पादन दिनांक 01.11.2022 में किया गया है। स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार योजना के निर्माण एवं विकास हेतु डी0पी0आर0 तैयार किये जाने का कार्य तथा सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
72(05)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में स्थल पर गतिमान कार्य को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य 2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। दिनांक 08.12.2022 तक पात्र अभ्यर्थियों से पंजीकरण फार्म प्राप्त किये गये। जिसमें दिनांक 08.12.2022 तक कुल 891 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। पात्र अभियार्थियों से प्राप्त पंजीकरणों की जांच स्थानीय निकाय से करायी जा रही है। स्थानीय निकाय से जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त पात्र

**मद संख्या-72 (04)**

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में क्रय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए 01 माह के अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने एवं संयुक्त सचिव, एच0आर0डी0 /संयुक्त मजिस्ट्रेट,रुड़की को उक्त कार्य योजना का नियमित अनुश्रवण /मानीटरिंग किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

**मद संख्या-72 (05)**


प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के सापेक्ष प्राप्त 891 आवेदको के पात्रता की जाँच /सत्यापन कार्य स्थानीय निकायों के द्वारा 15 दिन के अन्दर किये जाने एवं तदनुसार आवंटन आदि की कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

**मद संख्या-72 (08)**

प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को अनुस्मारक पत्र भेजे जाने के निर्देश दिये गये ।

**मद संख्या-72 (10)**

प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना नगर निगम, हरिद्वार को Hand Over किये जाने की कार्यवाही शीर्ष प्रथामिकता से किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman/ Commissioner

72(08)	प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2458 दिनांक 30.08.2022 द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है। पत्र के क्रम में शासन से मार्गदर्शन अपेक्षित है।
72(10)	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/ भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/ भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि अनुरक्षण शुल्क बकाया वसूली की कार्यवाही की जाय तथा प्राधिकरण व नगर निगम, हरिद्वार द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर <b>HAND OVER</b> किये जाने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाय तथा एम0एन0ए0 द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार योजना में सामुदायिक केन्द्र सम्बन्धित नगर निगम /नगर पालिका को हस्तान्तरण करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा विकसित हरिलोक आवासीय योजना को अग्रतार रख-रखाव हेतु नगर निगम हरिद्वार को हैण्ड ओवर किये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम हरिद्वार की वांछनानुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों को कार्यालय पत्र संख्या 3062 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा नगर निगम हरिद्वार को प्रेषित किया जा चुका है। नगर निगम हरिद्वार द्वारा अपने बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त हैण्ड ओवर की कार्यवाही की जायेगी।
74(03)	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वास्तविक तथा वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई तथा प्राधिकरण को आय में बढ़ोतरी हेतु पूर्व में स्टाम्प शुल्क मद से प्राप्त आय हेतु शासन से पत्राचार किये जाने के निर्देश दिये गये तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित आय-व्ययक को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्तियों के क्रय विक्रय से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क प्राधिकरण को नियमानुसार प्राप्त कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 3647 दिनांक 08.12.2022 के द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।
74(04)	श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वारा स्थल खसरा संख्या-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वारा स्थल खसरा संख्या-04, मौजा रायपुर, एन0एच0-73 तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त सहमति व्यक्त करते हुए बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2822 दिनांक 27.09.2022 द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया जा चुका है। प्रकरण में शासन से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।


**मद संख्या-74 (03)** हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई तथा प्राधिकरण को आय में बढोत्तरी हेतु पूर्व में स्टाम्प शुल्क मद से प्राप्त आय हेतु शासन से पुनः पत्राचार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण एजेण्डा मद से किये जाने योग्य है।

**मद संख्या-74 (04)** श्री रतन लाल पुत्र श्री शम्भूदयाल द्वार स्थल खसरा सं०-04, मौजा रायपुर, एन०एच०-73 तहसील भगवानपुर, जिला- हरिद्वार में फिलिंग स्टेशन हेतु मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।


**मद संख्या-74 (05)** श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा नं०-281 /9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी०टी०सी०पी० की राय के अनुसार एवं अग्निशमन विभाग की अनापत्ति के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या-74 (06)** माता श्यामादेवी रमेशचन्द्र धर्मार्थ न्यास रजि० ट्रस्ट द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द्र शर्मा मानचित्र आवेदन सं०- HRDA/NC/0035/22-23 के क्रम में प्रस्तावित आश्रम भवन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर उडा से निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

**मद संख्या-74 (07)** श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन सं०- HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के क्रम में निर्मित बैंकट हाल को शमन

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman/Commissioner

74(05)	श्री दीपक पुत्र श्री तेलू रामद्वारा ग्राम अतमलपुर बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा न० 281/9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा ग्राम अतमलपुर बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का पुराना खसरा न० 281/9 पर पेट्रोल पम्प की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी०टी०सी०पी० से राय लेते हुए तदनुसार प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/वरिष्ठ नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून को कार्यालय पत्र संख्या 2105 दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा संदर्भित किया गया है। सी०टी०सी०पी० की आनलाईन आख्या दिनांक 15.11.2022 द्वारा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त उपविधि के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया जाना उचित होगा। अवगत कराना है कि अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति पूर्व से ही पत्रांक संख्या 2/सीएफओ-एच /2020 दिनांक 30 मई 2020 द्वारा प्राप्त है। अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
4(06)	माता श्यामादेवी रमेशचन्द्र धर्मार्थ न्यास रजि० ट्रस्ट द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0035/22-23 के कम में प्रस्तावित आश्रम भवन के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	माता श्यामादेवी रमेशचन्द्र धर्मार्थ न्यास रजि० ट्रस्ट द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/0035/22-23 के कम में प्रस्तावित आश्रम भवन के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त सहमति व्यक्त करते हुए बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण कार्यालय पत्र संख्या 2602 दिनांक 15.09.2022 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को संदर्भित किया गया। उडा द्वारा अपने पत्र संख्या 641 दिनांक 26.09.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि "शासनादेश संख्या 1311 दिनांक 26.07.2021 के प्रस्तर 02 के अनुसार 25 से 50 प्रतिशत तक की शिथिलता का अधिकार उडा बोर्ड में निहित है।" उक्त के कम में प्राधिकरण द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए अपने पत्र संख्या 3646 दिनांक 08.12.2022 द्वारा प्रकरण पुनः उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को प्रेषित किया गया है। उडा से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
4(07)	श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के कम में निर्मित बैंकट को शमन व होटल के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री वीरभान, श्री नितिन गौतम व श्री सचिन गौतम पुत्रगण श्री लक्ष्मीकान्त द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/0133/21-22 के कम में निर्मित बैंकट को शमन व होटल के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा आस-पास के क्षेत्रों की स्थिति का आंकलन करते हुए सी०टी०सी०पी० से राय लेते हुए तदनुसार प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/वरिष्ठ नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून को कार्यालय पत्र संख्या 3556 दिनांक 26 नवम्बर 2022 द्वारा संदर्भित किया गया है। सी०टी०सी०पी०/वरिष्ठ नियोजन की राय/आख्या अपेक्षित है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

74(05) श्री दीपक पुत्र श्री तेलू रामद्वारा श्री दीपक पुत्र श्री तेलू राम द्वारा ग्राम अतमलपुर बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण  
 ग्राम अतमलपुर बौगला परगना बौगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार

74(08)	खसरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 201, 202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17,431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "ग्रुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	खासरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 201, 202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17,431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "ग्रुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी0टी0सी0पी0 से राय लेते हुए तदनुसार प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/वरिष्ठ नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून को कार्यालय पत्र संख्या 2104 दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा संदर्भित किया गया है। सी0टी0सी0पी0/वरिष्ठ नियोजन की राय/आख्या अपेक्षित है। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
74(09)	हरिद्वार सीवरेज योजना में के0एफ0डब्लू0 वित्त पोषित सीवरेज कार्य हेतु इन्द्रलोक योजना भाग-2 तथा ट्रांसपोर्ट योजना में भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार सीवरेज योजना में के0एफ0डब्लू0 वित्त पोषित सीवरेज कार्य हेतु इन्द्रलोक योजना भाग-2 तथा ट्रांसपोर्ट योजना में भूमि उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार सीवरेज योजना में के0एफ0डब्लू0 वित्त पोषित सीवरेज कार्य हेतु इन्द्रलोक योजना भाग-1 तथा ट्रांसपोर्ट योजना में सीवेज पम्पिंग स्टेशन की स्थापना हेतु क्रमशः 556.00 वर्ग मी0 तथा 500.00 वर्गमी0 भूमि निःशुल्क परियोजना प्रबन्धक पेयजल निगम हरिद्वार को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
74(10)	श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 801 मि0 रकबा 380.0वर्गमी0, खसरा संख्या 824 मि0रकवा 5402.0 वर्गमी0 कुल रकवा 5782.0 वर्गमी0 भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा संख्या 801 मि0 रकबा 380.0वर्गमी0, खसरा संख्या 824 मि0रकवा 5402.0 वर्गमी0 कुल रकवा 5782.0 वर्गमी0 भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सी0टी0सी0पी0 की राय से सहमति व्यक्त करते हुए बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में खसरा संख्या 801 मि0 रकबा 380.0वर्गमी0, खसरा संख्या 824 मि0रकवा 5402.0 वर्गमी0 कुल रकवा 5782.0 वर्गमी0 भूमि हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यालय पत्र संख्या 2238 दिनांक 22.08.2022 द्वारा शासन को संदर्भित किया चुका है।
74(11)	प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण लागत की सीमा में वृद्धि तथा श्रेणी "E" के रूप में सृजित नई श्रेणी हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण लागत की सीमा में वृद्धि तथा श्रेणी "E" के रूप में सृजित नई श्रेणी हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्कों के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या 1824 दिनांक 23.07.2022 जारी किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

व होटल स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी०टी०सी०पी० द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रकरण पर अपनी राय दी जा चुकी है, अतः सी०टी०सी०पी० की राय के अनुसार प्रकरण पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या-74 (08)** खसरा नम्बर 197,199,200,201,202/2 व 205 ग्राम मनोहरपुर, ज्वालापुर हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 17431.664 वर्ग मीटर पर स्वीकृत "ग्रुप हाउसिंग" परियोजना के स्थान पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सी०टी०सी०पी० द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रकरण पर अपनी राय दी जा चुकी है, अतः सी०टी०सी०पी० की राय के अनुसार प्रकरण पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या-74 (10)** श्री विनोद गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश गोस्वामी के मौजा-ग्राम-रानीपुर परगना-ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार स्थित खसरा सं०-801 मि० रकबा 380.00 वर्ग मी०, खसरा सं०-824 मि०रकबा 5402.00 वर्ग मी० कुल रकबा 5782.00 वर्ग मी० भूमि के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-74 (12)** प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त लैण्ड की उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में सी०टी०सी०पी० से स्थल निरीक्षण/परीक्षण कराते हुए स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

  
Secretary


  
Vice Chairman

  
Chairman/Commissioner



74(12)	प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि कय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण लैण्डबैंक हेतु भूमि कय किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्राधिकरण लैण्ड बैंक हेतु ए0एम0डी0 इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ए0एम0डी0 इण्डस्ट्रीज लि0 के नमा राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि जिसमें भूमि खसरा न0. 45, 43म, 48, 41/2, 54, 52म0, 47, 51/2 व 52 का कुल क्षेत्रफल 9.7492 हे0 स्थित पदार्था उर्फ धनपुरा परगना ज्वलापुर तहसील व जिला हरिद्वार को चिन्हित किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा भूमि प्राधिकरण को विक्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्राधिकरण स्तर से अधिशासी अभियन्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा कार्यावाही गतिमान है।
74(13)	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40/V-2/21/55 (आ0)/ 2006 टी0सी0-1 देहरादून दिनांक 07.01.2022 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन 2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40/V-2/21/55 (आ0)/ 2006 टी0सी0-1 देहरादून दिनांक 07.01.2022 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन 2021 को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अंगीकृत किया गया तथा प्राधिकरण स्तर से दिये गये सुझाव को शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40/V-2/21/55 (आ0)/ 2006 टी0सी0-1 देहरादून दिनांक 07.01.2022 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन 2021 को अंगीकृत किये जाने तथा प्राधिकरण स्तर से दिये गये सुझावों को कार्यालय पत्र संख्या 2023 दिनांक 05.08.2022 द्वारा शासन को संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
74(14)	सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियो के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियो के भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि हरिद्वार महायोजना 2025 के अन्तर्गत कृषि भू उपयोग से आवासीय उपयोग में परिवर्तन सम्बन्धी विकासकर्ताओं की ओर से कुल 12 आवेदन/ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें प्राधिकरण स्तर से आवश्यक कार्यावाही उपरान्त 07 आवेदकों को आपत्ति सूचित की गयी है। आवेदकों द्वारा अभी तक आपत्ति के निराकरण सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। शेष 05 प्रकरणों में कार्यालय स्तर पर कार्यावाही

74(15)	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त भूखण्डों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त भूखण्डों के पुर्नमूल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में इन्द्रलोक आवासीय योजना के लिए बोर्ड निर्णयानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक जोडते हुए रू0.40843.00 प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित किया गया।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के पंजीकरण पुस्तिका मुद्रण का कार्य गतिमान है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
74(16)	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित रिक्त भवनों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनिस्तारित रिक्त भवनों के पुर्नमूल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में इन्द्रलोक आवासीय योजना के लिए बोर्ड निर्णयानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक जोडते हुए तैयार आधार मूल्य पर निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमादित किया गया।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के रिक्त 43 सम्पत्तियों को नीलामी वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए पुर्न मुल्यांकन की कार्यवाही गतिमान है। मूल्यांकन उपरान्त इन सम्पत्तियों के विक्रय/ नीलामी की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
74(17)	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में संविदा (अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक/ मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में संविदा (अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक/ मानदेय बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर तैनात कर्मियों का मानदेय बढ़ाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

  
**महेशचन्द्र जोशी**  
 प्राधिकारी अभियन्ता

## मद संख्या 75 (03)

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 66339/2022 देहरादून दिनांक 27.09.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-66339/2022 दिनांक 27.09.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथा संशोधित)में 500 वर्ग मी0 तक के क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवनों हेतु उपविधि में वर्णित सैटबैक एवं भू-आच्छादन के परिप्रेक्ष्य में विकल्प के रूप में **National Building Code-2016** (वर्तमान में प्रचलित/यथा समय-समय पर अद्यतन कोड) के प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

क्र०सं०	वर्तमान प्राविधान								संशोधित प्राविधान									
	वर्तमान प्राविधान								संशोधित प्राविधान									
5.2	आवासीय भवन								5.2 (1)(i) एकल आवासीय भवन हेतु सैटबैक (500 वर्गमी० मूखण्ड क्षेत्रफल तक)									
(1)																		
(i)																		
	मूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गमी०) में	न्यूनतम आवश्यक सैटबैक (मीटर में)								मूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गमी०) में	न्यूनतम आवश्यक सैटबैक (मीटर में)							
		मैदानी				पर्वतीय क्षेत्र					मैदानी				पर्वतीय क्षेत्र			
		अग्र	पृष्ठ	पार्श्व -1	पार्श्व -2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व -1	पार्श्व -2		अग्र	पृष्ठ	पार्श्व -1	पार्श्व -2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व -1	पार्श्व -2
	30 से 45 तक	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	30 से 45 तक	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-
	45 से अधिक व 75 तक	1.5	-	-	-	1.5	-	-	-	45 से अधिक व 60 तक	1.5	-	-	-	1.5	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 से अधिक व 75 तक	1.5	-	-	-	1.5	-	-	-
	75 से अधिक व 150 तक	2.0	1.5	-	-	1.5	1.2	-	-	75 से अधिक व 150 तक	2.0	1.5	-	-	1.5	1.2	-	-
	150 से अधिक व 300 तक	3.0	2.0	-	-	2.0	1.5	-	-	150 से अधिक व 300 तक	3.0	2.0	-	-	2.0	1.5	-	-
	300 से अधिक व 500 तक	4.5	3.0	1.5	-	3.0	3.0	1.5	-	300 से अधिक व 500 तक	4.5	3.0	1.5	-	3.0	2.0	1.5	-

**मद संख्या-74 (14)** सुमन नगर सहित कृषि भू-उपयोग में निर्मित अनाधिकृत कालोनियों के भू-उपयोग परिवर्तन एवं अन्य तकनीकी पहलुओं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को सी0टी0सी0पी0 की राय लेते हुए शासन को आवश्यक कार्यवाही एवं दिशा-निर्देश हेतु सन्दर्भित कर दिया जाय ।

**मद संख्या-75(03)** उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0-66339 /2022 दिनांक 27-09-2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या-75(04)** उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0-72684 /2022 देहरादून दिनांक 25-10-2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु सं0-3.3(V) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं0-7.14(I) में संशोधित प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या-75 (05)** श्री राजीव गोयल पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल निवास 53ए फेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली द्वारा हरिद्वार-नजीबाबाद रोड ग्राम सज्जनपुर पीली में रिसोर्ट हेतु प्रस्तुत मानचित्र सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से कृषि भू-उपयोग में रिसोर्ट हेतु प्रस्ताव को अनुमन्य किया गया तथा मार्ग में शिथिलता हेतु प्रकरण उडा को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

उपरोक्त के विकल्प के रूप में **National Building Code-2016** (वर्तमान में प्रचलित/यथा समय-समय पर अद्यतन कोड) के अनुसार सैटबैक प्राविधानित किये जा सकते हैं, जिसमें सैट बैक क्षेत्र छोड़ने के उपरान्त शेष समस्त क्षेत्र में भू-आच्छादन अनुमन्य होगा। **National Building Code-2016** के अनुसार सैटबैक निम्न है:-

(अ) अग्र सैटबैक (**Building Line**):- अग्र सैटबैक का निर्धारण अपेक्षित मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त मान्य होगा।

भूखण्ड के सम्मुख स्थित विद्यमान पंहुच मार्ग की चौड़ाई	अग्र सैटबैक/बिल्डिंग लाईन
7.5मी0 तक	1.5 (मार्ग मध्य से 5 मी0 Building Line सुनिश्चित होगी)
7.5 मी0 से अधिक 18.0 मी0 तक	3.0
18.0 मी0 से अधिक 24.0 मी0 तक	4.5
24.0 मी0 से अधिक 30.0 मी0 तक	5.0
30.0 मी0 से अधिक 45.0 मी0 तक	6.0
45.0 मी0 से अधिक	7.0

(ब) शेष सैटबैक (10.0 मी0 तक ऊंचे भवनों हेतु)

भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	पृष्ठ*	पार्श्व-1	पार्श्व-2**
30 से 45 तक	3.0	-	-
45 से अधिक 60 तक	3.0	-	-
60 से अधिक 75 तक	3.0	-	-
75 से अधिक 125 तक	3.0	-	-
125 से अधिक 250 तक	3.0	3.0	-
250 से अधिक 500 तक	3.0	3.0	3.0


\* भवन की ऊँचाई मात्र 7.0 मी0 तक भूखण्ड की गहराई (लम्बाई) 9.0 से न्यून होने पर पृष्ठ सैटबैक को 1.5 मी0 किया जा सकेगा। 300 वर्गमी0 से कम क्षेत्रफल के कोर्नर प्लॉट पर पृष्ठ सैटबैक न्यूनतम 2.4 मी0 अनिवार्य होगा।

\*\* भवन की ऊँचाई मात्र 7.0 मी0 तथा भूखण्ड की चौड़ाई 12.0 मी0 से न्यून होने पर एक पार्श्व सैटबैक को 1.5 मी0 किया जा सकेगा।

श्रीमान्द जोशी  
अधिसासी अभियन्ता

5.5 (1) (i)	भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0						क0सं0	उपयोग (भूखण्ड वर्गमी0 में)	समूह क्षेत्रफल	मैदानी क्षेत्र		पर्वतीय क्षेत्र	
	क0सं0	उपयोग (भूखण्ड क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	समूह क्षेत्रफल	मैदानी क्षेत्र		पर्वतीय क्षेत्र							
				अधिकतम भू आच्छादन	अनुमन्य एफ0ए0 आर0	अधिकतम भू आच्छादन				अनुमन्य एफ0ए0 आर0	अधिकतम भू आच्छादन (प्रतिशत में)	अनुमन्य एफ0ए0 आर0	
<b>a</b>	<b>प्लॉट</b>						<b>a</b>	<b>प्लॉट</b>					
1	—	—	—	—	—	—	1	30 से 60 तक	80	1.80	80	1.80	
2	—	—	—	—	—	—	2	60-75 तक	75	1.80	75	1.80	
3	75-150 तक	70	1.80	75	1.80	3	75-150	70	1.80	75	1.80		
4	150-250 तक	65	1.70	70	1.60	4	150-250 तक	65	1.70	70	1.60		
5	250-350 तक	60	1.60	65	1.50	5	250-350 तक	60	1.60	65	1.50		
6	350-450 तक	55	1.50	60	1.40	6	350-450 तक	55	1.50	60	1.40		
7	450-550 तक	50	1.40	55	1.30	7	450-550 तक	50	1.40	55	1.30		
							भू-आच्छादन- उपरोक्तानुसार अथवा <b>National Building Code-2016</b> (वर्तमान में प्रचलित/यथा समय-समय पर अद्यतन कोड) अनुसार सेटबैक प्राविधानित करने पर वांछित सेटबैक क्षेत्र छोड़ने के उपरान्त शेष क्षेत्र में भू-आच्छादन अनुमन्य होगा।						

अतः उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 66339/2022 देहरादून दिनांक 27.09.2022 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय समय पर यथासंशोधित) में संशोधित प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए संशोधित उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
**आनंद जोशी**  
 अधिशासी अभियन्ता

## मद संख्या 75 (04)

उत्तराखण्ड आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72684/2022 देहरादून दिनांक 25.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु संख्या 3.3(VI) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं0-7.14(I) में संशोधित प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-72684/2022 दिनांक 25.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु संख्या 3.3(VI) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं0-7.14(I) में संशोधित प्राविधानों निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

(1) अध्याय-3 बिन्दु संख्या-3.3(VI) का संशोधन:-

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.3 (vi) को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा:-

3.3(VI) तकनीकी अनापत्ति उपरान्त आवेदक द्वारा भू-उच्चीकरण शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क निम्न स्थितियों में जमा की जायेगी, जिसके उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा:-

\* ऐसे क्षेत्र जिनमें महायोजना लागू नहीं है, में भू-उच्चीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

क्र0सं0	वर्तमान प्राविधान	एतद्वारा द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
(1)	चूंकि नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र बाहुल्य रूप से निर्मित क्षेत्र स्वरूपीय होता है, अतः भू-उच्चीकरण शुल्क नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत देय नहीं होगा।	(1) चूंकि नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र बाहुल्य रूप से निर्मित क्षेत्र स्वरूपीय होता है, अतः भू-उच्चीकरण शुल्क नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत देय नहीं होगा।
(2)	नगर निकाय सीमा के बाहर के क्षेत्रों में 2000 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्डों को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुए सम्बन्धित भू-खण्ड में प्रस्तावित गैर सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि तथा उच्च तकनीकी संस्थाओं हेतु भू-उच्चीकरण शुल्क देय होगा।	(2) नगर निकाय सीमा के बाहर एकल आवासीय एवं निम्न वर्णित सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों से सम्बन्धित भवनों को छोड़कर अन्य गतिविधि के भवनों हेतु भू-उच्चीकरण शुल्क देय होगा। सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक गतिविधि (जिनमें भू-उच्चीकरण शुल्क देय नहीं होगा) निम्नानुसार हैं:- 01. केन्द्रीय/राजकीय/अर्द्ध राजकीय गतिविधियों से सम्बन्धित भवन यथा-कार्यालय भवन, शैक्षिक भवन चिकित्सकीय भवन, प्रदर्शनी स्थल, लाईब्रेरी, सांस्कृतिक भवन, नाट्यशाला, संगीत, सभागार, संग्रहालय, नृत्य गृह, योग-मेडीटेशन सेन्टर, यात्री स्टेशन, मनोरजन पार्क, क्रीडा स्थल, स्टेडियम, अन्य सभागार, संस्थागत भवन (जेल, कारागार, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थाएं, मानसिक-चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थाएं, अन्य विशिष्ट संस्थाएं), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertakings) तथा ऐसे भवन जो स्वीकृति प्राधिकारी के अनुसार

		उपरोक्त वर्णित के समतुल्य हो। 02. सार्वजनिक पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर, इत्यादि), धर्मशाला/आश्रम। उपरोक्त गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यरत कार्मिकों हेतु FAR का अधिकतम 15 प्रतिशत आवासीय उपयोग में लाया जा सकेगा।
(3)	भू-उच्चीकरण शुल्क कृषि से प्रस्तावित गतिविधि हेतु निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का आधा होगा।	(3) भू-उच्चीकरण शुल्क कृषि से प्रस्तावित गतिविधि हेतु निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का आधा होगा।

परन्तु फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन के सम्बन्ध में अध्याय-7 के प्रस्तर-7.14 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(2) अध्याय-7.14 के बिन्दु संख्या 7.14(i) का संशोधन

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या-7.14(i) फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन-यथा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, बायो डीजल आदि की अनुमन्यता से सम्बन्धित प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा।

क्र०सं०	वर्तमान प्राविधान	एतद्वारा द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
i	सामान्यतः महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के परिक्षेत्रीय विनियमन में अनुमन्यता के अनुरूप ही फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन की अनुमन्यता होगी।	1- महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के परिक्षेत्रीय विनियमन (Zonal Regulations) में अनुमन्यता के अनुरूप ही फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन की अनुमन्यता होगी।
ii	महायोजना में अनुमन्य भू-उपयोग से इतर भू-उपयोग परिक्षेत्रों में नियमानुसार शासन से भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त ही फिलिंग स्टेशन/फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन का निर्माण अनुमन्य होगा इस हेतु भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत मूल्य भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।	2- महायोजना में अनुमन्य भू-उपयोग से इतर भू-उपयोग क्षेत्रों में, ऐसे भू-उपयोग, जहां पर परिक्षेत्रीय विनियमन (Zonal Regulations) के अनुसार जिन क्षेत्रों में फिलिंग स्टेशन/फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन का निर्माण अनुमन्य नहीं है, उन क्षेत्रों में शासन से भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति के उपरान्त फिलिंग स्टेशन/फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन का निर्माण, भूमि मूल्य का 15 प्रतिशत शुल्क के साथ अनुमन्य होगा।
iii	महायोजना क्षेत्र से बाहर कृषि/ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे खुले/अविकसित/बंजर क्षेत्र, जिनका महायोजना के अन्तर्गत भू-उपयोग निर्धारित नहीं है, में राष्ट्रीय, प्रान्तीय व अन्य मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन व फिलिंग कम सर्विस स्टेशन के निर्माण सम्बन्धी आवेदनों पर भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत मूल्य उच्चीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।	3- महायोजना क्षेत्र के बाहर किन्तु नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र में फिलिंग स्टेशन/फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति हेतु शुल्क देय नहीं होगा। 4- महायोजना क्षेत्र के बाहर एवं नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के बाहर, भूमि मूल्य का 7.5 प्रतिशत भू-उच्चीकरण शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त फिलिंग स्टेशन/फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन की स्थापना अनुमन्यता होगी।

अतः उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-72684/2022 दिनांक 25.10.2022 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (समय समय पर यथा संशोधित) के अध्याय-3 बिन्दु संख्या 3.3(VI) एवं अध्याय-7 के बिन्दु सं०-7.14(i) में संशोधित प्राविधानों को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राजेश्वर जीप्री  
अधिसूचना उद्देश्यकता



## मद संख्या 75 (05)

श्री राजीव गोयल पुत्र स्व० श्री सोहनलाल निवासी 53ए फ्रेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली द्वारा हरिद्वार-नजीबाबाद रोड ग्राम सज्जनपुर पीली में रिसोर्ट हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।

कृपया आवेदक श्री राजीव गोयल पुत्र स्व० श्री सोहन लाल गोयल निवासी-53ए, फ्रेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2022 द्वारा कृषि भू-उपयोग में रिसोर्ट संबंधी गतिविधि अनुमन्य किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके साथ आवेदक श्री राजीव गोयल पुत्र स्व० श्री सोहन लाल गोयल निवासी-53ए, फ्रेण्डस कालोनी पूर्वी नई दिल्ली द्वारा हरिद्वार-नजीबाबाद रोड, ग्राम सज्जनपुर पीली के भूमि खाता संख्या-00174 खसरा संख्या 124 रकबई 0.4520 है, खसरा नं०-125 रकबई 0.4510 है कुल दो किते रकबा 0.903 है भूमि के भूस्वामित्व प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।


उपरोक्त के कम में अगवत कराना है कि श्री राजीव गोयल पुत्र स्व० श्री सोहन लाल गोयल द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल 9030 वर्ग मीटर पर रिसोर्ट के निर्माण का मानचित्र सं० MAP/HRDA/NC/0053/22-23 प्रस्तुत किया गया था जो कि सूचित आपत्तियों के निराकरण संबंधी अभिलेख ससमय प्रस्तुत न किये जाने के कारण स्वतः निरस्त हो चुका है। मानचित्रकार की आख्यानानुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना 2025 में कृषि भू-उपयोग दर्शित है। प्लड जोन /एन०जी०टी० के नियमों के आधार पर अनापत्ति हेतु सहायक अभियन्ता चतुर्थ सिंचाई खण्ड हरिद्वार को पत्र संख्या 3054 दिनांक 06.10.2022 प्रेषित किया गया है।

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 के प्रस्तर 10.3.7 के अनुसार प्राधिकरण/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरांत "इको रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, मोटल, गोल्ड क्लब/रिसोर्ट आदि" की अनुमन्यता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत रिसोर्ट हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है। उक्त के अतिरिक्त मानचित्र के परीक्षण के उपरान्त मानचित्र में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 6.10 मी० प्रदर्शित की गई है। जबकि भवन उपविधि के अनुसार रिसोर्ट हेतु न्यूनतम विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर अनुमन्य है। प्रस्ताव हेतु मार्ग में 49.16 प्रतिशत की शिथिलता की आवश्यकता है। शासनोदश सं०-1311/V-2/21-10(आ०)/2020 दिनांक- 26 जुलाई 2021 के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 के मानको में 25-50 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के बोर्ड में निहित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रश्नगत भू-उपयोग में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्यता के उपरान्त विद्यमान पहुँच मार्ग में शिथिलता हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं

  
महेश्वरी जोशी  
उत्तराखण्ड प्राधिकरण

सलेमपुर महदूद-2 परगना रूडकी तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 1715 पर श्री अनिल गोयल पुत्र स्व0 श्री शिव नारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गैराज की शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया श्री अनिल गोयल पुत्र स्व0 श्री शिव नारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र सं0-HRDA/CC/0138/22-23 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल भूखण्ड के खसरा न0 1715 स्थित-ग्राम सलेमपुर महदूद-2 परगना रूडकी तहसील व जिला हरिद्वार पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल का कुल भूखण्ड क्षेत्रफल विक्रय पत्र के अनुसार 2186.00 वर्ग मीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड एरिया 2186.00 वर्ग मीटर है जिसपर मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप गैराज का शमन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में आवासीय R-2 के अन्तर्गत आता है। प्रस्तुत प्रस्ताव कुल भूखण्ड एरिया विक्रय पत्र के अनुसार 2186.00 वर्ग मीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड एरिया 2186.00 वर्ग मीटर है। जिस पर मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप गैराज के शमन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है। जो कि प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त ही मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गैराज को शमन अनुमन्य किया जा सकता है। जिसका तकनीकी विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1000.00 वर्ग मीटर	2186.00 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	12 मीटर	9.00 मीटर मुख्य मार्ग से 200 मी0 के डेड मार्ग पर स्थित है।
03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	10.00 मीटर	10.00 मीटर
	रियर सेट बैक	5.00 मीटर	5.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	4.00 मीटर	4.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	6.00 मीटर	4.5 मीटर
04	भू-आच्छादन	45 प्रतिशत	1.60 प्रतिशत
05	F.A.R	2.00	
06	भवन की ऊँचाई	12.00 मीटर	6.00 मीटर
	तलों की संख्या	जी+3	ग्राउण्ड फ्लोर केवल
07	पार्किंग	8.58	10.24 ई0सी0एस0
08	अन्य विवरण	-	-

माधवानन्द जशी  
अधिश्रासी अभियन्ता

**मद संख्या-75 (06)** सलेमपुर महदूद-2 परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0-1715 पर श्री अनिल गोयल पुत्र स्व0 श्री शिव नारायण गोयल निवासी निरंजनी अखाडा हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गैराज की शमन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सी0टी0सी0पी0 से राय लिये जाने का निर्णय लिया गया तदनुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-75 (07)** ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0-264 मि0 पर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री एस0पी0गुप्ता निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा विद्यालय के शमन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या-75 (08)** ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा नं0-4252 /2 पर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम राम निवास-ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सी0टी0सी0पी0 की राय लेते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या-75 (09)** अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हरिद्वार-महायोजना 2041 के प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून में प्रस्तुतीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विपक्षी द्वारा भूतल पर 22.00 मी० x 57.00 मी० पर मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वर्क शॉप गैराज हेतु शेड का निर्माण किया गया है। आवश्यक पार्किंग नियमानुसार खुले स्थान में दी गई है।

प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार आवासीय है। महायोजना के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या 10.3.1 के प्रस्तर-02 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त-बारातघर, पेट्रोल-डीजल फिलिंग स्टेशन, मोटर वाहन मरम्मत कार्यशाला/गैराज आदि के निर्माण अनुमन्य हैं। आवेदक द्वारा मोटर वाहन मरम्मत कार्यशाला/गैराज के निर्माण का मानचित्र शमन स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नगत मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण सभा के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।

तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

माधवानन्द ज्योशी  
अधिशासी अभियन्ता

ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा न0 264मि0 पर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री एस पी0 गुप्ता निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा विद्यालय के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री एस पी0 गुप्ता निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा HRDA/NC/OTS/0021/22-23 में आवेदन के सम्बन्ध में अवलोकन करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल भूखण्ड का खसरा न0 264 मि0 स्थित-ग्राम रोहालकी किशनपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल का कुल भूखण्ड ऐरिया विक्रय पत्र के अनुसार 10933.00 वर्ग मीटर एवं स्थलानुसार कुल भूखण्ड ऐरिया 10933.00 वर्ग मीटर मे से मार्गधिकार 21.79 वर्ग मीटर छोडते हुए नेट भूखण्ड ऐरिया 10688.68 वर्ग मीटर पर इन्टर कालेज का शमन मानचित्र व नव निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत किया गया है।

मानचित्रकार की आख्या के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में कृषि के अन्तर्गत आता है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में कृषि के अन्तर्गत है जिसपर विद्यालय का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त ही विद्यालय को शमन व नव निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है।

जिसका तकनीकी विवरण निम्न प्रकार से है:-


क्र0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	15000.00 वर्ग मीटर / As per affiliation letter from CBSE board it should min 8000.00 sq.m	10688.68 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	12 मीटर	20.00 मीटर
03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	12.00 मीटर	12.00 मीटर
	रियर सेट बैक	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	6.00 मीटर	6.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	40 प्रतिशत	18.88 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	1.60 प्रतिशत	0.72 प्रतिशत
06	भवन की ऊंचाई	18.00 मीटर	14.00 मीटर
	तलों की संख्या	जी+ 5	जी+ 3
07	पार्किंग	99.48 ई0सी0एस0	106.31 ई0सी0एस0
08	अन्य विवरण	-	-

मानचित्रकार  
शिवालिक नगर

प्रस्तुत शमन आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विपक्षी द्वारा 02 तलों में भूतल व प्रथम तल पर 37 कक्षा कक्ष, 06 लैब, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम व रिसेप्शन का निर्माण कर विद्यालय संचालित किया जा रहा है। चतुर्थ तल पर नव निर्माण की प्रस्तावना दी गई है। आवश्यक पार्किंग नियमानुसार खुले स्थान में दी गई है।

प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार कृषि एवं हरित क्षेत्र है। महायोजना के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या 10.3.7 के प्रस्तर-03 के अनुसार कृषि भू-उपयोग में प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त- कृषि सम्बन्धी उद्योग, विद्यालय एवं पुस्तकालय अनुमन्य है। आवेदक द्वारा विद्यालय का मानचित्र शमन स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नगत मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण सभा के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।

तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



माधवानन्द जोशी  
अधिसासी अभियन्ता

मद संख्या-75 (08)

ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड का खसरा न0 4252/2 पर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम राम निवास -ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में

कृपया श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं0-HRDA/NC/0166/22-23 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल जमालपुर खुर्द बहादुराबाद मार्ग (ग्रामीण मार्ग) 20.00 मीटर पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल पर भूखण्ड ऐरिया 537.17 वर्गमीटर में से फिलिंग स्टेशन का कुल क्षेत्रफल 433.46 मीटर पर फिलिंग स्टेशन का मानचित्र श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मांगेराम द्वारा ग्राम जमालपुर खुर्द परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार भूखण्ड का खसरा न0 4252/21 पर प्रस्तुत प्रस्ताव दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में पर्यटन के अन्तर्गत है तथा महायोजना मार्ग 30.00 मी0 है। प्रस्तुत प्रस्ताव प्रश्नगत स्थल पर भूखण्ड ऐरिया 537.17 वर्ग मीटर में से फिलिंग स्टेशन का कुल क्षेत्रफल 433.46 मीटर पर फिलिंग स्टेशन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त ही निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है। प्रश्नगत स्थल नगर निगम सीमा के 3.00 कि0 मी0 अन्दर है तथा प्रश्नगत स्थल नाले से 5.00 मी0 दूरी पर स्थित है। स्थल के आसपास 50.00 मी0 परिधि में आवासीय/स्कूल/अस्पताल स्थित नहीं है।

जिसका तकनीकी विवरण निम्नप्रकार से है:-

क्र0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	400वर्गमीटर	533.12 वर्गमीटर
02	पहुंच मार्ग	18मीटर	20.00 मीटर
03	सेटबैक		
	फ्रन्ट सेटबैक	-	-
	रियर सेटबैक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	3.00 मीटर	3.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	5.00 प्रतिशत	3.05 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	0.05	0.0305
06	कैनोपी की ऊँचाई	6.00 मीटर	6.00 मीटर
07	भवन की ऊँचाई	भूतल (न्यूनतम 3.00 मीटर)	भूतल (3.00 मीटर)
08	पार्किंग	80 वर्गमीटर	80 वर्गमीटर
09	अन्य विवरण	-	-


प्रस्तुत आवेदन के क्रम में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर भूखण्ड रिक्त है।

प्रस्ताव फिलिंग स्टेशन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है जो बोर्ड बैठक के उपरान्त ही अनुमन्य है। तकनीकी जाँच की गयी। जॉचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ0ए0आर0, समस्त सेटबैक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार प्रस्तावित हैं।

उपरोक्तानुसार प्रकरण ग्राम जमालपुर खुर्द बहादराबाद मार्ग (ग्रामीण मार्ग) 20.00मीटर मार्ग परस्थित व भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में पर्यटन होने के कारण फिलिंग स्टेशन की निर्माण की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है।

प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार पर्यटन परिसर (S-2) है। महायोजना के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या 10.3.8 के प्रस्तर-06 के अनुसार पर्यटन परिसर (S-2) में प्राधिकरण बोर्ड/नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त-पेट्रोल आपूर्ति केन्द्र अनुमन्य है। आवेदक द्वारा पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नगत मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण सभा के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।

तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।




माधवानन्द जोशी  
अधिसासी अभियन्ता



## मद संख्या 75 (09)

अमृत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हरिद्वार महायोजना 2041 के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्र संख्या 2244/त्रगानि0/ह0रू0वि0प्रा0/2022 दिनांक 30 नवम्बर 2022 का अवलोकन करना चाहें। वर्तमान में हरिद्वार महायोजना-2025 लागू है। निदेशक/मिशन निदेशक (अमृत) शहरी विकास निदेशालय, देहरादून के निर्देशन में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा हरिद्वार महायोजना 2041 तैयार किया जा रहा है। प्रश्नगत महायोजना 2041 के सम्बन्ध में वरिष्ठ नियोजक मुख्यालय श्रीमती शालू थिण्ड द्वारा हरिद्वार-महायोजना-2041 में रोड सर्कुलेशन का प्रस्तुतिकरण प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 06.12.2022 को किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 2244 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा हरिद्वार महायोजना 2041 का प्रस्तुतिकरण प्राधिकरण की आगामी 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.12.2022 में किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतिकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।




माधवानन्द जोशी  
अधिसारी अधीक्षक

## मद संख्या 75 (10)

तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को आकृषित करने एवं उनकी सुविधा के दृष्टिगत शिवमूर्ति तिराहे से गंगा नदी के मध्य सूखी नदी खडखडी तक के क्षेत्र को एक कोरिडोर के रूप में रखते हुए सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटन नगरी है, जहां पर वर्ष भर तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को आकृषित करने के दृष्टिगत हर की पौडी को जाने एवं आने वाले वाले मार्ग/क्षेत्र को मुख्यतः शिवमूर्ति तिराहा से सूखी नदी खडखडी तक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अपर रोड से गंगा के मध्य वाले क्षेत्र को एक कोरिडोर के रूप में विकसित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। इस क्षेत्र में ही वर्ष भर तीर्थ/यात्रियों/पर्यटकों का अत्याधिक ठहराव रहता है, जिसके दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने हेतु नियमानुसार कन्सलटेन्ट एजेन्सी का चयन किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



माधवानन्द जोशी  
अधिसासी अभियन्ता

**मद संख्या-75 (10)**

हर की पैडी कोरिडोर के रूप में सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु कन्सलटेंट एजेन्सी चयन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सहमति प्रदान की गई ।

**मद संख्या-75 (11)**


वर्ष 2016 के पश्चात विकास क्षेत्र में सम्मिलित नये क्षेत्रों में अनियोजित विकास की रोकथाम सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या-75 (12)**


शाखा कार्यालय रुड़की के स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से सहमति प्रदान करते हुए रुड़की में कार्यालय भवन निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया ।

**मद संख्या-75 (13)**

शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है कि प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से करें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगुने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सी0टी0सी0पी0, एच0आर0डी0ए0 के अधिशासी अभियन्ता एवं 02 सहायक अभियन्ताओं की समिति गठित करते हुए समिति की सुस्पष्ट आख्या पर निर्णय /अनुमोदन प्रदान करने हेतु बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।







## मद संख्या 75 (11)

वर्ष 2016 के पश्चात् विकास क्षेत्र में सम्मिलित नये क्षेत्रों में अनियोजित विकास की रोकथाम के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1277 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद को विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। शासन द्वारा प्राधिकरण कार्यालय एवं पदों के पुर्नगठन में तीन शाखा कार्यालय स्वीकृत हैं। जिनमें से ऋषिकेश शाखा कार्यालय को हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण से समाप्त कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार शेष दो शाखा कार्यालय रह गये। उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या 626/V-2/21-5(आ10)/2017 दिनांक 17.03.2021 द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र को छोड़कर नये क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। उक्त आदेशों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा शाखा कार्यालय लक्सर को बन्द कर दिया गया। पुनः शासन द्वारा शासनादेश 1078 दिनांक 15.06.2021 निर्गत करते हुए स्थगित किये गये क्षेत्रों आवेदकों को स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये किन्तु अनाधिकृत निर्माणों की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हैं।

उक्त आदेशके उपरान्त स्थगित किये गये क्षेत्रों में व्यवसायिक निर्माण एवं कालोनियो का अनाधिकृत निर्माण / विकास कार्यों के दृष्टिगत अनियोजित विकास हो रहा है जिस पर प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त स्थगित क्षेत्रों में ऐसे अनाधिकृत एवं अनियोजित व्यवसायिक तथा प्लाटिंग के कार्य गतिमान हैं जिस पर निरन्तर जन शिकायतें तथा राजस्व प्रशासन से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त क्षेत्रों में ऐसे व्यावसायिक निर्माण जिनका क्षेत्रफल न्यूनतम 250 वर्गमी० से अधिक हो तथा समस्त प्रकार के अनाधिकृत प्लाटिंग पर कार्यवाही अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


संयोजक  
अतिरिक्त

## मद संख्या 75 (12)

शाखा कार्यालय रूडकी के स्थापना के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि शाखा कार्यालय रूडकी वर्तमान में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति हिमालयन गेस्ट हाउस में संचालित है, जो जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा आवंटित है। वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा व्यवसायिक की दर से किराया जमा कराये जाने हेतु सूचित किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा अभी तक किराये का भुगतान नहीं किया गया है। रूडकी शाखा कार्यालय से तहसील रूडकी व भगवानपुर क्षेत्र का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। रूडकी क्षेत्र के विस्तृत कार्यभार के दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव है कि रूडकी अथवा आस-पास के क्षेत्र में उचित भूमि की (सरकारी अथवा निजी) की तलाश करते हुए प्राधिकरण द्वारा स्वयं का कार्यालय स्थापित कर दिया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
माधवानन्द जोशी  
अधिसूत्री अभियन्ता

शमन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है के प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत ऐसी अनाधिकृत कालोनियाँ जिनका भू-उपयोग महायोजना के अनुसार आवासीय है अथवा ऐसी कालोनियाँ जो महायोजना क्षेत्र से बाहर हैं। जिन कालोनियों में रोड़ आदि का विकास कार्य एव प्लाटों का उप-विभाजन किया गया है, जो भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य नहीं हैं। ऐसी कालोनियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, आवास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2281 दिनांक 22.06.1998 एवं उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-02 के शासनादेश संख्या-40 दिनांक 10 जनवरी, 2019 के अनुसार ऐसे भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं दी जा सकती है के प्रकरणों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त क्रमांक 09 (आवासीय हेतु बिना स्वीकृत किया गया भू-विभाजन/विकास कार्य में भूमि मूल्य का 1%) में निर्दिष्ट को दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर बोर्ड के माध्यम से कालोनियों को विनियमितीकरण किया गया है। पूर्व में जिन कालोनियों का विनियमितीकरण किया गया है उनमें 5% सबडिवीजन शुल्क तथा 200 रुपये विकास शुल्क लेकर विनियमितीकरण किया गया है। वर्तमान में जिन कालोनियों में रोड़ आदि का विकास कार्य एव प्लाटों का उप-विभाजन किया गया है, जो भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य नहीं हैं उनके निम्न शमन शुल्क प्रस्तावित हैं:-


01. भू-उपविभाजन हेतु प्रस्तावक द्वारा देय शमन शुल्क:-

- सबडिवीजन 05 प्रतिशत (सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्रफल पर)
- वाहय विकास शुल्क रू0. 100 प्रति वर्गमी0 (सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्रफल पर)

02. तलपट मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त व्यक्तिगत भू-खण्डधारकों से भवन मानचित्र शमन/स्वीकृत कराते समय रू0. 250 प्रति वर्गमी0 की दर से नियमानुसार निर्मित क्षेत्र पर विकास शुल्क प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावक एवं व्यक्तिगत भूखण्ड धारकों द्वारा नियमानुसार देय अन्य शुल्क भी यथावत रहेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
माधवानन्द जोशी  
अधिसूचनी अधिकारी

मा0 उच्चतम न्यायालय में तैनात प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री विनय गर्ग की वाद पैरवी फीस निर्धारण के सम्बन्ध में


श्री विनय गर्ग, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मा0 सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2005 से हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की ओर से योजित एस0एल0पी0, रिट याचिकाओं एवं अन्य वादों में वर्ष प्रतिवाद करते आ रहे हैं इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय नई दिल्ली, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में भी हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ओर से वादों में प्रतिवाद करते आ रहे हैं।

श्री गर्ग को वादों की पैरवी/प्रतिवाद हेतु हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण से उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृत आदेश दिनांक 18.08.2015 से निम्नलिखित फीस दरों का भुगतान किया जा रहा है। श्री गर्ग ने दिनांक 29.11.2022 को पत्र संख्या 208 प्रेषित करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्वीकृत फीस दरों पर प्रतिवाद किए जाने हेतु फीस का अनुरोध किया है।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून की 98 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 08 में स्वीकृत फीस दरों का विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित है:-

क्र0 सं0	विवरण	ह0रू0वि0प्रा0 द्वारा पूर्व में स्वीकृत दरें (दि0 18.08.2015 से स्वीकृत फीस दरों का विवरण)	एम0डी0डी0ए0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नई दिल्ली, अधिकरण/राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकरण राष्ट्रीय ग्रीन अधिकरण के सम्बन्ध में निर्धारित वर्तमान स्वीकृत अधिवक्ता फीस दरें	एम0डी0डी0ए0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/राज्य सरकार की वादों प्रतिवादों हेतु अधिवक्ता फीस की वर्तमान स्वीकृत दरें
01	02	03	04	05
1-	ड्राफ्टिंग आफ पिटीशन/ अपील /प्रतिशपथ पत्र हेतु	50000.00	75000.00	110000.00
2-	ड्राफ्टिंग ओर रिज्वाइन्डर हेतु	35000.00	50000.00	55000.00
3-	प्रति एपीयरेन्स बिफोर कोर्ट मिसलेनियस हियरिंग प्रतिदिन	50000.00	33000.00	36300.00
4-	प्रति एपीयरेन्स बिफोर कोर्ट फाइनल हियरिंग प्रतिदिन	50000.00	75000.00	82500.00
5-	प्रति एपीयरेन्स बिफोर रजिस्टार	7500.00	11000.00	12100.00
6-	कान्फ्रेन्स शुल्क प्रति घंटा	15000.00	11000.00	33000.00
7-	ड्राफ्ट एवं फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन	15000.00	25000.00	24200.00
8-	ड्राफ्टिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ केस	-	-	55000.00
9-	क्लेरिकल चार्ज 10 प्रतिशत उपरोक्त फीस पर	-	-	-
10-	वास्तविक वाद व्यय, ट्रान्सलेशन, टाईपिंग व अन्य पर अतिरिक्त	-	-	-
11-	खर्च वास्तविक आधार पर मांग अनुसार	-	-	-

अतः उपरोक्तानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय में श्री विनय गर्ग एडवोकेट द्वारा फीस बढ़ाने का अनुरोध के क्रम में कॉलम संख्या 04 एवं 05 में अंकित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्वीकृत फीस दरों को हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
महेश चन्द्र जोशी  
अधिवक्ता

**मद संख्या-75 (14)**

मा0 उच्चतम न्यायालय में तैनात प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री विनय गर्ग की वाद पैरवी फीस निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या-75 (15)**

उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु एक ट्रेक्टर ट्राली टैंकर क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


**मद संख्या-75 (16)**

**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद :-**

1-नगर निगम हरिद्वार हेतु पोर्टेबल काम्पेक्टर हुक लोडर एवं राईड ऑन टाईम स्वीपिंग मशीन आदि क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रू0 195.70 लाख प्राधिकरण से उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से प्राधिकरण के बजट प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

2-हरिद्वार मेडिकल कालेज के प्रस्तावित भवन मानचित्र में अनुमन्य भू-उपयोग के इतर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0एव/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं उपाध्यक्ष /जिलाधिकारी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman/Commissioner




## मद संख्या 75 (15)


उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु एक ट्रेक्टर ट्राली टेंकर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि समय-समय पर उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु एवं हरिद्वार शहर के सौन्दर्यीकरण को दृष्टिगत रखते हुए शहर के डिवाइडरों पर गमले पौधे आदि लगाये गये हैं। स्थापित किये गये गमलों पौधों को हरा-भरा रखने हेतु निरन्तर पानी आदि दिये जाने की व्यवस्था हेतु प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए 01 ट्रेक्टर, 01 ट्रॉली एवं 5000 ली० क्षमता का पानी का टेंकर क्रय किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु 01 ट्रेक्टर, 01 ट्रॉली एवं 5000 ली० क्षमता का पानी का 01 टेंकर नियमानुसार क्रय किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

  
माधवानन्द जोशी  
अविशासी अभियन्ता

मद संख्या 75 (16)  
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद



माधवानन्द जोशी  
अविभागीय अधिकारी

मद संख्या-75 (16)(01)  
(अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद)

नगर निगम हरिद्वार हेतु पोर्टेबल कॉम्पेक्टर, हुक लोडर, एवं राईड ऑन टाईम स्वीपिंग मशीन आदि क्रय किये जाने हेतु प्राधिकरण से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-2092 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में नगर निगम, हरिद्वार हेतु 16 घनमी० क्षमता के 04 नग पोर्टेबल कॉम्पेक्टर, 28 टन क्षमता के 02 नग हुक लोडर एवं 02 नग राईड ऑन टाईप डीजल ईंजन स्वीपिंग मशीन की आपूर्ति हेतु आगणन तैयार किया गया है। हर की पैडी, सी०सी०आर०, रोडिबेलवाला, अपर रोड, एवं भीडभाड वाले घाटों के किनारे स्थान की उपलब्धता के अनुसार उक्त पोर्टेबल कॉम्पेक्टर स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु आगणन रू०-19570000.00 तैयार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्राविधान किया गया है:-

क्र०सं०	विवरण	अनुमानित लागत
01	10.5 घनमी० क्षमता के 04 नग पोर्टेबल कॉम्पेक्टर (हाईड्रोलिक)	68.00 लाख
02	16 टन क्षमता के 01 नग हुक लोडर	42.00 लाख
03	रिफ्यूज कॉम्पेक्टर को स्थापित करने हेतु सिविल कार्य	80.00 लाख
04	कंटेजेंसी 3 प्रतिशत	5.70 लाख
	<b>कुल लागत</b>	<b>195.70 लाख</b>

उपरोक्त आगणन आपूर्तिकर्ता फर्मों से कुटेशन के आधार पर तैयार किये गये हैं, जिसमें कि सिविल कार्य हेतु प्रतिस्थल रू०-20.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल लागत रू०-19570000.00 का आगणन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित है। वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त सिविल कार्य का विस्तृत आगणन गठन कर एवं अन्य मदों की तकनीकी दृष्टि से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए कार्यान्वित किया जायेगा। "

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/प्रस्तुतिकरण नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार द्वारा स्वयं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

माधवानन्द जोशी

(अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद)

हरिद्वार मेडिकल कालेज के प्रस्तावित भवन मानचित्र में अनुमन्य भू-उपयोग के इतर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित मानचित्र के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 01, खसरा न01म, खसरा नम्बर 79म, 85, 86, 87म, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, मौजा मिस्सरपुर जिला-हरिद्वार कुल रकबा 67 एकड भूमि पर प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 24 एकड भूमि मास्टर प्लान 2025 में पूर्व से ही सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है। शेषभूमि का भूमि का भू-उपयोग आवासीय, मनोरंजन, प्रस्तावित मार्ग एवं मौजूदा मार्ग में प्रस्तावित है। साईट प्लान के अनुसार भू-उपयोग की भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

1-मानचित्रकार की आख्या अनुसार प्रस्तावित मानचित्र में स्थल का भू-उपयोग निम्न प्रकार है:-

1. आवासीय
2. सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक
3. व्यवसायिक
4. मनोरंजन
5. प्रस्तावित मार्ग-
6. आंतरिक भूमि में मौजूदा मार्ग-

क्षेत्रफल-94,792.73 वर्ग मीटर  
 क्षेत्रफल-99,385.65 वर्ग मीटर  
 क्षेत्रफल-9,858.93 वर्ग मीटर  
 क्षेत्रफल-41,915.17 वर्ग मीटर  
 क्षेत्रफल-23,444.49 वर्ग मीटर  
 क्षेत्रफल-3, 330.38 वर्ग मीटर

कुल क्षेत्रफल-

2,72,727.35 वर्ग मीटर

2- प्रस्तावित महायोजना मार्ग एवं मौजूदा मार्ग की भूमि को छोड़ने के उपरान्त शेष भूमि :-

उपरोक्त भू-उपयोग में प्रस्तावित मार्ग एवं आंतरिक भूमि में आंतरिक भूमि में मौजूदा मार्ग को हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत यथावत रखना होगा। तदनुसार प्रस्तावित भूमि निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	महायोजना 2025 में भू-उपयोग	भू-उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल (है0)	अनुमन्य अथवा परिवर्तन के अन्तर्गत भू-उपयोग	परिवर्तन का भू-उपयोग	सर्किल रेट की दर	परिवर्तन शुल्क प्रति वर्ग मीटर (सर्किल रेट का प्रतिशत)	घनराशि
1	आवासीय	9.479273	परिवर्तन के अन्तर्गत	सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक	16000+15 प्रतिशत (रू0-18,400 प्रति वर्ग मीटर)	10 प्रतिशत (1840 प्रति वर्ग मीटर)	17,44,18,623.00
2	व्यवसायिक	0.985893	अनुमन्य के अन्तर्गत	—	—	—	—

3	मनोरंजन	4.191517	परिवर्तन के अन्तर्गत	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक	16000+15 प्रतिशत (रू0-18,400 प्रति वर्ग मीटर)	10 प्रतिशत (1840 प्रति वर्ग मीटर)	11,56,85,869.00
4	सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक	9.938565	अनुमन्य के अन्तर्गत	---	---	---	---
कुल परिवर्तन शुल्क-							29,01,04,492.00

### 3-अनुमन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत क्षेत्रफल-

उपरोक्त भूमि में व्यवसायिक भू-उपयोग में हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत कॉलेज, नर्सिंग होम, /मेडिकल क्लीनिक एवं सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग के अन्तर्गत चिकित्सालय, नर्सिंग होम /स्वास्थ्य केन्द्र , औषधालय, क्लीनिक को अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत लिया गया है।

तदनुसार महायोजना-2025 में प्रस्तावित एरिया-99385.65+9,858.93 कुल क्षेत्र 1,09,244.58 अनुमन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत है।

4-महायोजना-2025 के अन्तर्गत अनुमन्य भू-उपयोग के जो क्षेत्रफल नहीं आता है , को शासनादेश संख्या 1311 दिनांक 26 जुलाई 2021 के अन्तर्गत भू-उपयोग के सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक के अन्तर्गत परिवर्तन होन पर कॉलेज, नर्सिंग होम, /मेडिकल क्लीनिक का मानचित्र स्वीकृत किया जाना स्वीकार है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण निम्न है:-

शेष आवासीय क्षेत्रफल 94,792.73 वर्ग मीटर एवं मनोरंजन क्षेत्रफल-41,915.17 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 1,36,707.90 अनुमन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत न होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत आवासीय से सार्वजनिक /अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन शुल्क रू0-17,44,18,623.00 एवं मनोरंजन से सार्वजनिक /अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन शुल्क रू0-11,56,85,869.00 देय होता है।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ,107, चन्दन नगर, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 5612/चि0शि0/12/14/2020 दिनांक 12 दिसम्बर 2022 जो कि प्राधिकरण को सम्बोधित एवं सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव , आवास, उत्तराखण्ड शासन का पृष्ठांकित किया गया है, में अवगत कराया गया है कि योजना केन्द्रपोषित है, योजना के निर्माण से जनपद हरिद्वार एवं सीमावर्ती जनपदों के जनमानस को अत्यन्त लाभ होगा। मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः बोर्ड के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. निर्माण स्थल पर मौजूदा मार्ग एवं प्रस्तावित महायोजना मार्ग की भूमि को मानचित्र प्रस्तावना में छोड़ना होगा।
2. आवासीय क्षेत्रफल 94,792.73 वर्ग मीटर एवं मनोरंजन क्षेत्रफल-41,915.17 हेतु प्रस्तावित भूमि अर्थात कुल क्षेत्रफल 1,36,707.90 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शुल्क रू0-29,01,04,492.00 को जमा कराने अथवा निदेशक चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय देहरादून के अनुरोध के कम में जनहित में भू-उपयोग से मुक्त रखने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिये जाने हेतु ।
3. गंगा से 200 मीटर की परिधि में निर्धारित भूमि क्षेत्रफल को खुला क्षेत्र प्रदर्शित करना होगा।

बिन्दु संख्या-2 पर प्रस्तावित क्षेत्रफल में भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासनादेश संख्या 1311/वी-2/21-10(आ0)/2020 के अन्तर्गत शासन में निहित है। तदनुसार भू-उपयोग परिवर्तन एवं शिथिलता पर निर्णय बोर्ड की अनुमति /निर्णय के उपरान्त शासन को संदर्भित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा